भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1893
जिसका उत्तर शुक्रवार, 06 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

विधि विद्यालय और महाविद्यालय

1893. श्री नारायण तातू राणे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दस वर्षों के दौरान देश में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मौजूदा विधि विद्यालयों/महाविद्यालयों की वर्ष-वार कुल संख्या कितनी है ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विधि विद्यालयों/महाविद्यालयों के रूप में मान्यता हेतु कुल कितने आवेदन लंबित हैं ;

(ग) क्या सरकार द्वारा देश में विधि विद्यालयों की तेजी से बढ़ती संख्या के मुद्दे का समाधान करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : पिछले दस वर्षों के दौरान देश में भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) द्वारा अनुमोदित सीएलई (विधिक शिक्षा केंद्र) की कुल संख्या **उपाबंध-क** के रूप में संलग्न है।

(ख) : बीसीआई ने सूचित किया है कि तारीख 18.12.2023 के परिपत्र के अनुसार, उसने https://www.barcouncilofindia.org/user/login नामक एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने पंजीकरण के लिए विद्यमान और नए सीएलई/संस्थाओं से आवेदन लेना आरंभ कर दिया है । यह भी अधिसूचित किया गया है कि सभी लंबित हार्ड कॉपी आवेदन निरर्थक हैं और आवेदक सीएलई को अभिहित पोर्टल के माध्यम से नए सिरे से आवेदन करना होगा। बीसीआई ने आगे बताया है कि वर्ष2023-2024 में पंजीकरण के लिए पोर्टल पर कुल 436 नए आवेदन प्राप्त हुए और वर्तमान में ऐसे पंजीकरण के लिए बीसीआई के पास कोई आवेदन लंबित नहीं है।

(ग) और (घ) : अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 7(1)(ज) के अनुसार, बीसीआई को विधिक शिक्षा को बढ़ावा देने और ऐसी शिक्षा के मानकों को निर्धारित करने का अधिकार है। बीसीआई ने सूचित किया है कि उसने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं, जिससे कि देश भर में बढ़ते सीएलई के खतरे को रोका जा सके। 2015 में, बीसीआई ने तारीख 06.06.2015 के संकल्प के माध्यम से राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों से अगले तीन वर्षों के लिए विधि महाविद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और संबद्धता जारी करने पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया था। संकल्प के बावजूद, 300 सीएलई को एनओसी और संबद्धता मिल गई लेकिन बीसीआई ने दी गई संबद्धता को मंजूरी देने से

इनकार कर दिया। बाद में, न्यायिक हस्तक्षेप के पश्चात्, बीसीआई को इन सीएलई को दी गई संबद्धता को मंजूरी देने की प्रक्रिया को फिर से आरंभ करना पड़ा। बीसीआई द्वारा तारीख 11.08.2019 के संकल्प के माध्यम से नए सीएलई और यहां तक कि नए अनुभाग खोलने पर तीन साल की अवधि के लिए एक नया अधिस्थगन लगाया गया था, लेकिन माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अधिस्थगन लगाने वाले बीसीआई के प्रस्ताव को अपास्त करने के पश्चात्, तारीख 16.06.2021 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इसे भी हटा लिया गया था।

****

<u>उपाबंध-क</u>

क्र.सं.	**राज्य**	**राज्य की संख्या**
1	अंदमान और निकोबार द्वीप	01
2	आंध्र प्रदेश	05
3	अरुणाचल प्रदेश	05
4	असम	03
5	बिहार	10
6	चंडीगढ़	01
7	छत्तीसगढ	11
8	दादरा और नागर हवेली	01
9	दिल्ली	10
10	गुजरात	64
11	हरियाणा	30
12	हिमाचल प्रदेश	08
13	जम्मू-कश्मीर	01
14	झारखंड	15
15	कर्नाटक	32
16	केरल	18
17	मध्य प्रदेश	82
18	महाराष्ट्र	78
19	मणिपुर	01
20	मेघालय	02
21	ओडिशा	08
22	पुडुचेरी	01
23	पंजाब	29
24	राजस्थान	55
25	सिक्किम	02
26	तमिलनाडु	23
27	तेलंगाना	16
28	त्रिपुरा	01
29	उत्तर प्रदेश	319
30	उत्तराखंड	14
31	पश्चिमी बंगाल	22
	कुल योग	**868**

****